

विहंगावलोकन

भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग-II के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सात संघ शासित क्षेत्र (यूटी) अर्थात् अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चण्डीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी के अतिरिक्त यूटी में विधान मण्डल नहीं हैं। यह प्रतिवेदन विधायिका रहित पांच यूटी की लेखापरीक्षा से उजागर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को शामिल करता है।

प्रतिवेदन में चार अध्याय शामिल है। अध्याय-I संघ शासित क्षेत्रों में प्रशासनिक तथा वित्तीय प्रबंधन की संक्षिप्त सार के साथ-साथ बजटीय आबंटन तथा किए गए व्यय तथा पहले के वर्षों के ड्राफ्ट पैराग्राफों तथा कार्रवाई टिप्पणियों के उत्तर के अनुसार लेखापरीक्षा को प्रत्युत्तर की स्थिति प्रदान करता है। अध्याय-II में यूटी के व्यय क्षेत्र से सम्बन्धित पैराग्राफ शामिल हैं जबकि अध्याय-III राजस्व क्षेत्र से संबंधित है। अध्याय IV दादरा एवं नागर हवेली के यूटी प्रशासन के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) से संबंधित एक पैराग्राफ शामिल है। इस प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की वित्तीय विवक्षा ₹ 609.01 करोड़ है।

इस प्रतिवेदन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

व्यय क्षेत्र

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

पुलिस विभाग, पोर्ट ब्लेयर

तटीय सुरक्षा योजना तथा अपराध तथा अपराध ट्रेकिंग नेटवर्क प्रणाली (सीसीटीएनएस) परियोजना का कार्यान्वयन

तटीय सुरक्षा योजना चरण-II के सभी योजना संघटक जिन्हे तटीय निगरानी तथा सुरक्षा हेतु अवसरंचना का सुधार करना था, मूल योजना लक्ष्यों से पीछे थे। दस नियोजित समुद्री प्रचालन केन्द्रों में से केवल एक को स्थापित किया

गया था जबकि योजना के प्रारम्भ से सात वर्ष बीत गए थे। इसके अतिरिक्त, दस नियोजित जेटियों हेतु स्थलों को अभी भी अंतिम रूप दिया जाना था तथा 20 तटीय पुलिस थानों का सुधार कार्य अभी भी प्रारम्भ किया जाना था। अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क तथा प्रणाली (सीसीटीएनएस), जिसे प्रक्रियाओं को पुनः तैयार करना तथा एकल नेटवर्क में पुलिस विभागों के विभिन्न स्तरों को अन्य पणधारकों के साथ एकीकृत करना अभिकल्पित था, ने अपने अधिकांश अभिकल्पित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया था।

(पैराग्राफ सं. 2.1)

अण्डमान लोक निर्माण विभाग

निष्फल व्यय

अण्डमान लोक निर्माण विभाग ने अनिवार्य वन अनापत्ति प्राप्त किये बिना ₹ 1.42 करोड़ की लागत पर एरियल बे में जल आपूर्ति के संवर्धन हेतु निर्माण-कार्य सौंपा था जिसके कारण निर्माण-कार्य पुरोबंध करना पड़ा। निर्माण कार्य के पुरोबंध के कारण निर्माण-कार्य के लिए अधिप्राप्त सामग्री पर ₹ 92.94 लाख का निष्फल व्यय किया गया।

(पैराग्राफ सं. 2.2)

नौपरिवहन सेवा निदेशालय

सीमा शुल्क का परिहार्य भुगतान

नौपरिवहन सेवा निदेशालय, अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन की सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत जारी सीमा शुल्क अधिसूचना के अनुसार भुगतान की छूट प्राप्त करने में विफलता के कारण नियमित मरम्मत हेतु आयातित पुर्जों की अधिप्राप्ति तथा समुद्र में उतरने वाले जलयानों के अनुरक्षण पर सीमा शुल्क के प्रति ₹ 57.99 लाख का परिहार्य भुगतान हुआ था।

(पैराग्राफ सं. 2.3)

चंडीगढ़ प्रशासन

कार्य की अनुचित योजना के कारण उप-स्टेशन का व्यर्थ पड़े रहना

विद्युत विभाग, संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़, ने चंडीगढ़ के सारंगपुर में ग्रिड उप-स्टेशन के निर्माण के लिए पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ ₹ 9.87 करोड़ की अनुमानित लागत पर समझौता किया। उप-स्टेशन का निर्माण जो नवंबर 2011 तक पूरा किया जाना चाहिए था बाधाओं के साथ भूमि आवंटन के कारण चार वर्षों से अधिक की देरी हुई थी। 66 केवी ट्रांसमिशन लाइनों की अनुपलब्धता के कारण नवनिर्मित उप-स्टेशन अभी शुरू नहीं हुआ है जिसके कारण ₹ 10.19 करोड़ लागत की सृजित परिसम्पत्तियां व्यर्थ पड़ी रहीं।

(पैराग्राफ सं. 2.6)

व्यवहार्यता स्थापित किए बिना बाजार का निर्माण

चण्डीगढ़ प्रशासन ने ₹ 1.53 करोड़ की कुल लागत पर वातानुकूलित मछली तथा मांस बाजार का निर्माण किया था जबकि बाजार की व्यवहार्यता पर संदेह था। विक्रेताओं से प्रतिक्रिया की कमी के कारण पिछले आठ वर्षों से संपूर्ण एकीकृत बाजार रिक्त पड़ा हुआ है।

(पैराग्राफ सं. 2.7)

दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली प्रशासन

दमन एवं दीव (डी एण्ड डी) तथा दादरा एवं नागर हवेली (डीएनएच) लि. के ओमनीबस औद्योगिक विकास निगम (ओआईडीसी) को सुपुर्द जमा कार्य

2011-17 के दौरान, डीएण्डडी एवं डीएनएच के यूटी के सत्रह विभागों/स्वायत्त निकायों ने 44 जमा कार्य प्रदान किये और ओआईडीसी के पास ₹ 528.87 करोड़ जमा करवाए। जमा कार्यों के रूप में परियोजनाओं के निष्पादन हेतु ओआईडीसी को निधियों के निर्गम को शासित करने वाले कोडल प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने में विभाग असफल रहा। वास्तविक आवश्यकता से बहुत अधिक धनराशि जारी की गयी थी जिससे ₹ 56.57 करोड़ बेकार पड़े रहे इससे परिकल्पित अवसंरचनागत परिसम्पत्तियों

के सृजन के उनके प्रमुख उद्देश्य की प्राप्ति के बिना मात्र निगम को बचाये रखने का कार्य पूरा होता हुआ दिख रहा था। ₹ 57.70 करोड़ की धनराशि किसी पूर्व प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति के बिना जारी की गयी थी, इससे बजटीय नियंत्रण एवं अनुशासन प्रभावित हुआ। परियोजनाएं लंबी अवधि तक विलंबित हुई थीं क्योंकि निर्माण कार्य की सुपुर्दगी के पूर्व बाधा मुक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के कोडल अनिवार्यता का पालन नहीं किया गया था। अंततः ₹ 454.74 करोड़ लागत वाले 31 जमा कार्य को एमओयू किये बिना इसे दिया गया था, जिसके कारण निर्माण-कार्य का क्षेत्र, भुगतान अनुसूची एवं कार्य-समाप्ति के पड़ाव निर्धारित होने से रह गये।

(पैराग्राफ सं. 2.8)

पर्यटन हेतु जिला पंचायत को अनियमित अनुदान

दमन एवं दीव के यूटी प्रशासन ने जिला पंचायत दमन को पर्यटन के लिए ₹ 1.35 करोड़ का सहायता अनुदान अनियमित रूप से संस्वीकृत किया था जबकि पर्यटन का विषय पंचायत को नहीं सौंपा गया था। चूंकि जिस परियोजना के लिए निधियां जारी की गई थीं, उसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था इसलिए अनुदान अप्रयुक्त रहे। सरकार को निधियां वापस करने की बजाय सरकार को अन्य विकास योजनाओं के लिए निधियों का उपयोग करने के अवसर से वंचित करते हुए चार वर्षों से अधिक के लिए सरकारी खातों से इन्हें बाहर रखा गया था।

(पैराग्राफ सं. 2.9)

ठेकेदार को अस्वीकार्य और अनुचित भुगतान

ठेकेदार के पास तैनात अपने स्थायी श्रमिकों की लागत की वसूली करने में दमन नगर निगम की विफलता के कारण ठेकेदार को ₹ 33.22 लाख के अस्वीकार्य भुगतान हुए थे। इसके अतिरिक्त, उन्होंने पूर्व रूप से वास्तविक अनुबंध में प्रतिबद्ध मदों के लिए अतिरिक्त भुगतान की अनुमति दी थी जिसके कारणवश ठेकेदार को ₹ 47.88 लाख का अनुचित भुगतान हुआ था।

(पैराग्राफ सं. 2.10)

एक डिवाइडर के गिराने और पुनर्निर्माण के कारण परिहार्य व्यय

निर्माण कार्य के दौरान एक सड़क डिवाइडर के तकनीकी विशेषताओं में यथोचित तकनीकी अनुमोदन लिए बिना बदलाव करने और तदुपरांत उसे गिराकर और मूल डिजाइन के समान डिजाइन लेकर फिर से बनाने के कारण ₹ 58.72 लाख का परिहार्य व्यय हुआ था।

(पैराग्राफ सं. 2.11)

संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन (यूटीएलए)

संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप में लोक संवितरण प्रणाली के अंतर्गत अनिवार्य उपयोगी वस्तुओं का प्रापण तथा संवितरण

संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप में लोक संवितरण प्रणाली (पीडीएस) में बेहतर मिट्टी के तेल (एसकेओ), चीनी तथा चावल का आबंटन, परिवहन, भण्डारण तथा संवितरण शामिल है। पीडीएस की लेखापरीक्षा से पता चला कि आबंटित, उठाई गई तथा संवितरित एसकेओ तथा चीनी की प्रमात्रा यूटी की जनसंख्या के आधार पर परिकल्पित आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी। अधिक व्यय की अनुमानित कीमत ₹ 3.47 करोड़ थी। इसके अतिरिक्त, ₹ 75.24 लाख की कीमत के खराब चावल की बड़ी प्रमात्रा खराबी के कारण के संबंध में कोई जांच किए बिना तथा इसके निपटान हेतु बिना किसी कार्रवाई के गोदाम में पड़ी थी। आंतरिक नियंत्रणों तथा अर्थपूर्ण मॉनीटरिंग की भी कमी थी क्योंकि 2014-15 से पीडीएस मदों के लेखे तैयार नहीं किए गए थे तथा 2013-14 तक के लेखाओं ने द्वीप सहकारी आपूर्ति एवं विपणन समितियों से बिक्री प्राप्तियों के बकाया प्रेषण दर्शाया था। इसके अतिरिक्त समितियों द्वारा बिक्री प्राप्तियों का सरकारी खाते में कम तथा विलम्बित प्रेषण को भी दर्शाया तथा सतर्कता समितियां तथा निरीक्षण तंत्र या तो गैर-क्रियात्मक थे या फिर मौजूद नहीं थे।

(पैराग्राफ सं. 2.12)

समर्पित बर्थिंग सुविधाओं के निर्माण में विलंब और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के पास निधियों का रखा जाना

संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन ने सक्षम प्राधिकरण द्वारा पूर्व परियोजना अनुमोदन और अपेक्षित मंजूरी के बिना समर्पित बर्थ के निर्माण हेतु ₹ 40.34 करोड़ की निधियां जारी कर दी थीं। इसके कारणवश अपेक्षित उद्देश्य के लिए उसके तुरंत उपयोग की संभावना न होते हुए निधियों को लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड के पास रखा गया था। यह केवल प्राप्ति और भुगतान नियमावली का उल्लंघन नहीं था बल्कि जीएफआर का भी उल्लंघन था परंतु अन्य विकासात्मक गतिविधियों के लिए इन निधियों का उपयोग करने का अवसर यूटीएलए को अस्वीकृत किया था। इसके अतिरिक्त, मंजूरी और अनुमोदनों की मांग के कारण परियोजना की कल्पना करने के छः वर्षों के पश्चात् भी इसको प्रारंभ किया जाना था।

(पैराग्राफ सं. 2.13)

परिचालन से हटा दिये गये जलयान के निपटान में विलंब के कारण परिहार्य व्यय

जलयान का उचित रिजर्व मूल्य निर्धारण सहित समय पर कार्रवाई प्रारंभ करने में विलंब के साथ-साथ परिचालन से हटा दिए गए जलयान के निपटान हेतु स्थापित प्रक्रिया के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 7.67 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ सं. 2.14)

आयकर की कम कटौती

संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन (यूटीएलए) ने आयकर देयता का निर्धारण करने हेतु द्वीप विशेष कर्तव्य भत्ता (आईएसडीए) को शामिल नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप यूटी लक्षद्वीप के पीएओ के अंतर्गत 118 डीडीओ में से 19 डीडीओ के मामले में ₹ 51.92 लाख के आयकर की कम कटौती की गई।

(पैराग्राफ सं. 2.15)

राजस्व क्षेत्र

संघ शासित क्षेत्र दादरा एवं नागर हवेली

विकास अनुबंध पर स्टाम्प शुल्क का कम उदग्रहण

उप-रजिस्ट्रार, सिल्वासा के विकास अनुबंध से संबंधित प्रतिफल राशि के आधार पर स्टाम्प शुल्क का उदग्रहण नहीं कर पाने से स्टाम्प शुल्क का कम उदग्रहण हुआ था। तदुपरांत, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर 12 मामलों में ₹ 29 लाख राशि की वसूली हुई थी।

(पैराग्राफ सं. 3.1)

वाणिज्यिक क्षेत्र

दादरा एवं नागर हवेली संघ शासित क्षेत्र

डीएनएच विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

डीएनएच विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा विद्युत की खरीद एवं बिक्री

केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से विद्युत के पर्याप्त आबंटन होने के बावजूद विद्युत आवश्यकताओं के अपर्याप्त निर्धारण के कारण कम्पनी विद्युत की खरीद करती रही। इसके अतिरिक्त विद्युत क्रय अनुबंध (पीपीए) के खराब प्रबंधन के परिणामस्वरूप ₹ 371.30 करोड़ का परिहार्य अथवा अनियमित व्यय सहित ₹ 8.63 करोड़ की शास्ति की वसूली नहीं हुई। प्रतिभूति जमाओं, विद्युत कारक के लिए निर्धारित सीमा एवं क्षेत्रीय निरीक्षण की आवृत्ति के संबंध में संयुक्त विद्युत नियामक आयोग विनियमों का अननुपालन देखा गया था।

(पैराग्राफ सं. 4.1)

